III/निग०/सतना/2017/4135

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

39

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

1. श्यामलाल पिता स्व0श्री लालमन त्रिपाठी उम्र 57 वर्ष पेशा खेती
2. कौशल प्रसाद पिता स्व0छेदीलाल उर्फ बैजनाथ त्रिपाठी उम्र 60 वर्ष पेशा खेती
3. लक्ष्मी प्रसाद पिता श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी उम्र 62 वर्ष

सभी निवासी ग्राम डोमहाई तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना

म0प्र0-----------------------------------**निगराकारगण**

बनाम

श्रीमती सरिता देवी अग्रवाल पत्नी श्री बनवारीलाल अग्रवाल निवासी ग्राम बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0----------------------**गैर निगराकार**

आवेदकगण की ओर से श्री रामाराय शुक्ला एड० द्वारा पेश / 27-10-17

27-10-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त जैतवारा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक-19अ12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2015 एवं 15.08.15 में पारित आदेश के विरूद्ध।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता-1959

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनय करते है :-

निगरानी की पृष्ठभूमि

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगराकार श्रीमती सरिता देवी अग्रवाल पत्नी श्री बनवारीलाल अग्रवाल निवासी ग्राम

Conti.......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / सतना / भू.रा. / 2017 / 4135

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर जिला सतना के प्रकरण कमांक 19 अ 12/14–15 में पारित आदेश दिनाक 10–6–15 एंव 15–8–15 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने ग्राम डोमहाइ की आराजी कमांक 129/1 एंव 129/2 के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक कमांक 19 अ–12/14–15 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी कराई। हलका पटवारी ने दिनांक 15–6–15 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया । सीमांकन पर आपत्ति न आने से राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 15–8–15 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी ने आवेदकगण को सूचना दिये बिना अनावदेक से मिलकर गलत तरीके से सीमांकन किया है एंव मौके की स्थिति के मान से सीमांकन नहीं किया है। अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के	

नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने कर वह अधिकारी हैं। यदि आवेदकगण स्वयं की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानते हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 15.8.15 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य